बनाम

पत्रावली पेश। प्रार्थी अधि. उभयपक्ष हाजिर / बहस
अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई / बहस मुताबिक
आदेश, अस्थाई आदेश व काउन्टर आदेश के
अनुसार रही / बहस पर मनन किया गया एवं
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन
किया गया। मूल वाद बंटवारा प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण
की संयुक्त खातेदारी की भूमि के बंटवारे का है
तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक हिस्से
पर प्रत्येक खातेदार का हिस्सा निहित होता है जब
तक विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं किया
जाता है। विवादित भूमि मैसे रिकॉर्ड की
स्थिति में परिवर्तन होने पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण
के हित प्रभावित हो सकते हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 व 3 द्वारा
द्वारा मूल वाद के जवाब के साथ में काउन्टर
क्लेम व काउन्टर आदेश पेश किया हुआ है। अतः
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी व काउन्टर आदेश अप्रार्थी
सं. 1 व 3 का स्वीकार किया जाता है / तथा उभयपक्ष
को आगामी आदेश निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता
है कि वे विवादित भूमि खसरा नम्बर 275 रकबा
5.22 हैक्टर, ख.न. 273 रकबा 0.03 हैक्टर,
ख.न. 274 रकबा 2.73 हैक्टर वाके ग्राम
पारोडा बास, पटवार हल्का चैनपुरा तहसील
व जिला सीकर की भूमि पर तारीख पेशी दिनांक
25/4/2024 व उभयपक्षी मद्दे कब्जा व राजस्व
तक रिकॉर्ड की स्थिति बनाये रखे / उक्त निर्णय
के या प्रचलित रास्ते व प्रचलित रास्ते पर
लागू नहीं होगा / पत्रावली मैनुअल मुताबिक रखा
नकल से जमा हो, दाखिल दफ्तर हो / निर्णय आज
मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर